

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for proposed Widening of existing road Ambikapur to Ramanujganj NH-343, area - 102.324 ha. में से सरगुजा वनमण्डल अन्तर्गत 9.869 हे. वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव बावत्।

चेक लिस्ट क्रमांक - 26

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वनमण्डलाधिकारी सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/ROAD/147299/2021

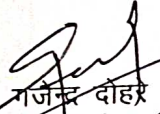
1	परियोजना का नाम	एन.एच.-343, अम्बिकापुर से रामानुजगंज रोड में 2/4 लेन मय पेव्हेड सोलडर मार्ग का चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य				
2	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, संभाग अम्बिकापुर				
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	मार्ग का चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य				
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमण्डल	परियोजना स्थल		
		सरगुजा	सरगुजा	वन परिक्षेत्र अम्बिकापुर		
5	वन भूमि का विस्तृत विवरण	वन खण्ड	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल (हे.)	साईट क्वालिटी	घनत्व
	क. सीमांकित आरक्षित वन	पासंग	2577	5.637	III	0.5
	ख. सीमांकित संरक्षित वन	मेण्ड्राखुर्द	पी-2535	2.442	III	0.5
		योग :-		8.079		
	ग. असीमांकित संरक्षित वन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	घ. राजस्व वनभूमि	तहसील	ग्राम का नाम	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल हे. में	साईट क्वालिटी	घनत्व
		अम्बिकापुर	मेण्ड्राखुर्द	1.567	IV	0.4
			किशुननगर	0.208	IV	0.4
			रजपुरी खुर्द	0.015	IV	0.4
		योग :-		1.790		
		महायोग :-		9.869		
6	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	साल, सागौन एवं मिश्रित वन, साईट क्वालिटी-III, IV घनत्व- 0.4 से 0.5				
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	आवेदित क्षेत्र में सागौन, साल, महुआ इत्यादि प्रजातियों के वृक्ष स्थित हैं। सेम्पल प्लॉट में खड़े वृक्षों के गणना प्रतिवेदन अनुसार आवेदित वन क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के अनुमानित कुल 578 वृक्ष स्थित हैं। विस्तृत विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रजातिवार वृक्षों का गणना पत्रक संलग्न है।				
8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	सामान्य				

9	आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें)	आवेदित क्षेत्र अम्बिकापुर-रामानुजगंज रोड के लिए रिंग रोड हेतु प्रस्तावित है। सर्वे ऑफ इंडिया टोपोगीट क्रमांक 64 M/8 एवं 64 M/4 संलग्न है।
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायो स्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/ वाटर बॉडी, आदिवासी सेटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	नहीं।
11	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/ भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावे एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)	नहीं।
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण देवें।	नहीं।

प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गये भौतिक निरीक्षण दिनांक 17.09.2022 के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मार्ग चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण करने हेतु आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, संभाग अम्बिकापुर हेतु वनभूमि व्यवर्तन प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल — कक्ष क्रमांक पी 2535 एवं 2577 राजस्व वनभूमि मेण्डराखुर्द, किशुनपुर, रजपुरीखुर्द।
दिनांक — 17.09.2022


रजेंद्र दोहरे
वन परिक्षेत्राधिकारी, अम्बिकापुर


शैलेन्द्र अम्बष्ट
उप वनमण्डलाधिकारी,
अम्बिकापुर


श्री पंकज कुमार कमल
"भा.व.से."
वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर
PANKAJ KUMAR KAMAL
I.F.S.
Divisional Forest Officer
Surguja Division
Ambikapur (C.G.)

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for proposed Widening of existing road Ambikapur to Ramanujganj NH-343, area - 102.324 ha. में से सरगुजा वनमण्डल अन्तर्गत 9.869 हे. वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव बावत्।

भाग-II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/MIN/20742/2016

1	परियोजना/स्कीम का स्थान	एन.एच.-343, अम्बिकापुर से रामानुजगंज रोड में 2/4 लेन मय पेव्हड सोलडर मार्ग का चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य				
I	राज्य/संघ शासित प्रदेश	छत्तीसगढ़				
II	जिला	सरगुजा				
III	वन प्रभाग	सरगुजा वन मण्डल				
IV	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि	वन परिक्षेत्र अम्बिकापुर				
		जिला	वनमण्डल	परियोजना स्थल		
		सरगुजा	सरगुजा			
		वन खण्ड	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल (हे.)	साईट क्वालिटी	घनत्व
	क. सीमांकित आरक्षित वन	पासंग	2577	5.637	III	0.5
	ख. सीमांकित संरक्षित वन	मेण्ड्राखुर्द	पी-2535	2.442	III	0.5
		योग :-		8.079		
	ग. असीमांकित संरक्षित वन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	घ. राजस्व वनभूमि	तहसील	ग्राम का नाम	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल हे. में	साईट क्वालिटी	घनत्व
		अम्बिका पुर	मेण्ड्राखुर्द	1.567	IV	0.4
			किशुनन गर	0.208	IV	0.4
			रजपुरी खुर्द	0.015	IV	0.4
		योग :-		1.790		
		महायोग :-		9.869		
V	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि				
VI	वनस्पति का घनत्व	घनत्व - 0.4 से 0.5				
VII	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजना के संबंध में एफ.आर. एल., एफ.एफ.आर.एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4मी. भी संलग्न किए जाए।	आवेदित क्षेत्र में सागौन, साल, महुआ इत्यादि प्रजातियों के वृक्ष स्थित हैं। सेम्पल प्लाट में खड़े वृक्षों के गणना प्रतिवेदन अनुसार आवेदित वन क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के अनुमानित कुल 578 वृक्ष स्थित हैं। विस्तृत विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रजातिवार वृक्षों का गणना पत्रक संलग्न है।				

D.F.O.
Surguja Division
Ambikapur

VIII	भू-क्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	भू-क्षरण के दृष्टिकोण से क्षेत्र संवेदनशील है।
IX	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल वनसीमा से लगा हुआ क्षेत्र है।
X	क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)	नहीं।
XI	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं।
XII	क्या कोई सुरक्षित पुरातात्विक/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित हैं। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं।
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरो सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें।	परियोजना के लिए वनभूमि की मांग न्यूनतम है।
3	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं।
4	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	—
I	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	प्रकरण में नोडल अधिकारी, वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावेगा।
II	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वनक्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	—
III	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	—
IV	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	—
V	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	—
5	जिला उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 ;गपए गपपद्धत 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।

6	प्रभाग/जिला प्रोफाइल	सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर
I	वनमण्डल का भौगोलिक क्षेत्र	4043.299 वर्ग कि.मी.
II	वनमण्डल का वन क्षेत्र	147796.740 हेक्टेयर
III	1980 के बाद कुल वन क्षेत्र का वनेत्तर उपयोग मामलों की संख्या के साथ	कुल 13 प्रकरण, रकबा - 3313.124 हे.
IV	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण पर	4376.818 हे.
क	दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण को शामिल करते हुए वनभूमि	0.00
ख	वनेत्तर भूमि	6.50 हे.
V	वर्ष 2021-22 तक प्रतिपूरक वनीकरण की प्रगति	
क	वनभूमि	4376.818 हे
ख	वनेत्तर	6.50 हे.
7	कारणों सहित प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिशें।	राष्ट्रहित में आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में सम्मिलित वनभूमि की स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

तारीख - 17.09.2022

स्थान - अम्बिकापुर


 वनमण्डलाधिकारी
 सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर